बिहार सरकार
बिहार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली
(सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार)

क्रम सं० 06 / 2019 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक–15.06.2019

नीति आयोग के शासी परिषद् की पांचवी बैठक

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, आपदा अनुग्रह अनुदान एवं किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिया।

नई दिल्ली। 15 जून, 2019 : माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बदलते हुए वैश्विक, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी परिवेश में देश के विकास के लिये समावेशी सोच एवं दृष्टि की आवश्यकता है। वे आज राष्ट्रपति भवन के प्रेक्षागृह में आयोजित नीति आयोग के शासी परिषद् की पांचवी बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बिहार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों को बैठक में रखा एवं आशा व्यक्त किया कि विकास की रणनीति बनाते समय सभी मुद्दों एवं सुझावों पर सम्यक विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, आपदा अनुग्रह अनुदान एवं किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत गैर रैयत (बटाईदार एवं जोतेदारों) किसानों को भी शामिल करने का सुझाव दिया।**

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने **कहा कि** बिहार आपदा–प्रवण राज्य है। यहाँ बाढ़ एवं सुखाड़ जैसी आपदाओं से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते है। उन्होंने अनुरोध किया कि अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने हेतु **राज्य आपदा मोचन कोष के 25 प्रतिशत की अधिसीमा को शिथिल करते हुए वर्ष 2015 के पूर्व की भांति जरूरत के मुताबिक राज्य को राशि मिलनी चाहिए।**

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को **बंद** कर प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन **Central Sector Scheme** के तहत कराने का प्रावधान किया जाना चाहिए। राज्य की प्राथमिकता की योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से राज्य स्कीम के तहत करना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का अभिभाषण संलग्न है :

ए–5, स्टेट एम्पोरिया कम्प्लेक्स, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110001
दूरभाषः 011–23361087, टेलीफैक्स : 011–23346980
ई–मेल : biharinformation@gmail.com

uhfr vk;kx dh xofux dkmfly dh ikpoh cBd e
fcgkj d e[;e=h Jh uhrh'k dekj dk vfHkHkk"k.k

vknj.kh; i/kkue=h th] jkT;k d ekuuh; e[;e=hx.k] uhfr vk;kx d ekuuh; mik/;{k egkn;] ekuuh; dUnh; e=hx.k] xofux dkmfly d lHkh ekuuh; lnL;x.k] dUn vkj jkT; ljdkjk d inkf/kdkjhx.k

सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की पंचम बैठक में आमंत्रित कर अपना सुझाव रखने का अवसर दिया। भारत के संघीय ढाँचे में सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की सहभागिता से समस्याओं का निराकरण करने तथा लोकोपयोगी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए बेहतर माहौल बनाने में नीति आयोग अग्रणी भूमिका निभा सकता है। बदलते हुए वैश्विक, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी परिवेश में देश के विकास के लिये समावेशी सोच एवं दृष्टि की आवश्यकता है। आज की यह बैठक हमें अपनी परिस्थितियों पर विचार–विमर्श कर उनका समाधान ढूँढ़ने का मंच प्रदान करेगी, जिसमें केन्द्र एवं राज्यों की साझेदारी एवं समावेशी/सतत् विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

नीति आयोग द्वारा गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक हेतु कुछ विषयों को एजेंडा में शामिल किया गया है। मुझे आशा है कि राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों की रणनीतियों के साथ–साथ राज्यों द्वारा उठाये जा रहे सामयिक विषयों पर इस बैठक में सकारात्मक चर्चा होगी एवं केन्द्र तथा राज्यों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर आम सहमति बनेगी।

गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक हेतु परिचालित कार्यसूची के आलोक में एजेन्डा–वार विस्तृत प्रतिवेदन अलग से समर्पित किया गया है। मैं बिहार से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके विचारार्थ रखना चाहूँगा–

dUn ik;kftr ;kstuk & वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है, जिसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का अंशदान सम्मिलित रहता है। 14 वीं वित्त आयोग द्वारा राज्यों को अंतरित किए जाने वाले हिस्से को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किए जाने की अनुशंसा को आधार मानते हुए केन्द्रीय बजट में राज्यों को दी जाने वाली राशि में काफी कटौती की गयी है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सबसे अधिक बिहार पर पड़ा है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राष्ट्रीय विकास एजेंडा से संबंधित योजनाओं में 75 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक अंशदान केन्द्र सरकार का रहता था तथा शेष अंशदान राज्य सरकार का होता था। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडा से संबंधित सभी 21 योजनाओं का वित्तीय पैटर्न 60:40 (केन्द्रांशःराज्यांश) कर दिया गया है। कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में तो केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान 50:50 कर दिया गया है। वित्तीय पैटर्न में इस बदलाव के कारण राज्य सरकार को अपने स्रोतों से वित्तीय वर्ष 2015–16 में 4500 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2016–17 में 4900 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2017–18 में 15335 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में 21396 करोड़ रूपये व्यय करना पड़ा है। स्पष्ट है कि राज्य को अपने संसाधन का एक बड़ा भाग राज्यांश के रूप में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर प्रतिबद्ध करना पड़ रहा है जिससे राज्य की अपनी प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए कम

राशि उपलब्ध हो पाती है। इसके चलते राज्य आदेयता (Entitlement) आधारित नागरिक सुविधाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं कर पाती है। साथ ही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान सम्मिलित रहने के कारण वित्तीय प्रावधान कराने, लेखा–जोखा रखने एवं अनुश्रवण में भी काफी कठिनाई होती है। इतना ही नहीं राज्य की प्राथमिकता में नहीं रहने के बावजूद भी राज्य को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में भाग लेना पड़ता है। इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को बंद कर प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन Central Sector Scheme के तहत कराने का प्रावधान किया जाना चाहिए। राज्य की प्राथमिकता की योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से राज्य स्कीम के तहत करना चाहिए।

fo'k"k jkT; dk ntk dh ekx& राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से 10 प्रतिशत से अधिक आर्थिक विकास दर हासिल करने में सफल रही है, जो राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है। इसके बावजूद भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय अन्य विकसित राज्यों एवं राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है। इस राज्य को देश के अन्य विकसित राज्यों तथा राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लंबे समय से बिहार के लिए विशेष दर्जा देने की मांग केन्द्र सरकार से किया जाता रहा है। इस संदर्भ में, मैं केन्द्र सरकार द्वारा गठित रघुराम राजन समिति की अनुशंसाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जिसमें राज्यों के लिए समग्र विकास सूचकांक प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार देश के 10 सर्वाधिक पिछड़े राज्यों को चिन्हित किया गया था, जिसमें बिहार राज्य भी सम्मिलित है। इस समिति के प्रतिवदेन में यह भी उल्लेख किया गया था कि सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में विकास की गति बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार अन्य रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा सकती है।

यदि अन्तर–क्षेत्रीय एवं अन्तर्राज्यीय विकास के स्तर में भिन्नता से संबंधित आँकड़ों की समीक्षा की जाए तो पाया जायेगा कि कई राज्य विकास के विभिन्न मापदंडों यथा प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सांस्थिक वित्त एवं मानव विकास के सूचकांकों, पर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं। उदाहरण के रूप में बिहार का प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2017–18 में 28,485 रूपये था जो कि भारत का औसत प्रतिव्यक्ति आय 86,668 रूपये का मात्र 32.86 प्रतिशत था। राज्य में वर्ष 2005 में प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग मात्र 76 यूनिट था जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर 280 यूनिट हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 1149 यूनिट था।

इसी तरह से अगर मानव विकास के सूचकांकों को देखा जाये तो पाया जायेगा कि तेजी से प्रगति के बावजूद अभी भी हमे लम्बी दूरी तय करनी है। वर्ष 2005 में राज्य में मातृ मृत्यु दर (प्रति लाख जनसंख्या पर) 312 था जो वर्ष 2016 में घटकर 165 हो गया है जबकि राष्ट्रीय औसत 130 है। वर्ष 2005 में शिशु मृत्यु दर (प्रति एक हजार जनसंख्या पर) 61 था जो वर्ष 2016 में घटकर 38 हो गया है पर अभी राष्ट्रीय औसत जो 34 है से हम पीछे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 382 है। राज्य में 5 वर्ष आयु से कम के बच्चों में स्टंटिंग की समस्या 48.3 प्रतिशत पाई गई है जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 38.4 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यद्यपि बिहार ने हाल के वर्षों मे अधिकांश क्षेत्रों में प्रगति की है परन्तु अभी भी विकास के सूचकांको में वह राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है।

तर्कसंगत आर्थिक रणनीति वही होगी जो ऐसे निवेश और हस्ततांतरण पद्धति को प्रोत्साहित करे जिससे पिछड़े राज्यों को एक निर्धारित समय सीमा में विकास के राष्ट्रीय औसत

तक पहुँचने में मदद मिले। हमारी विशेष राज्य के दर्जे की मांग इसी अवधारणा पर आधारित है। हमने लगातार केन्द्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने से जहाँ एक ओर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के केन्द्रांश में वृद्धि होगी जिससे राज्य को अपने संसाधनों का उपयोग अन्य विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में करने का अवसर मिलेगा वही दूसरी ओर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों के अनुरूप केन्द्रीय जी०एस०टी० में अनुमान्य प्रतिपूर्ति मिलने से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा।

7 fu'p; ,o l|'kklu d dk;Øe % न्याय के साथ विकास के सिद्धान्त पर राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से सभी प्रक्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए अनेक विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। हमारी विकास रणनीति के कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ हैं– आधारभूत संरचना विकास, कृषि रोड मैप, कौशल विकास मिशन, औद्योगिक विकास, कमजोर वर्गों का कल्याण, बिहार विकास मिशन एवं 7 निश्चय। विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएँ यथाः पेयजल, शौचालय एवं बिजली उपलब्ध हो बल्कि आधारभूत संरचनाओं यथा सड़क, गली–नाली, पुल आदि का भी विस्तार हो। राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाने तथा उनके लिए उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की व्यवस्था करने के संकल्प पर कार्य कर रही है। इन योजनाओं को सार्वभौमिक स्वरूप दिया गया ताकि इसका लाभ बगैर किसी भेद–भाव के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के लोगों को प्राप्त हो सके। विकास कार्यक्रमों के साथ–साथ सामाजिक सुधार के अभियान भी चलाये जा रहे हैं। शराबबंदी को दृढ़तापूर्वक लागू करते हुए नशामुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। बाल–विवाह और दहेज–प्रथा के खिलाफ मुहिम जारी है।

राज्य सरकार अपने 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत हर घर नल का जल उपलब्ध कराने की योजना का कार्यान्वयन करा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से जलापूर्ति संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के वार्ड समिति के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी नगर निकायों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अप्रैल 2020 तक सभी घरों में नल का जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत घर तक पक्की नाली गलियां योजना के अन्तर्गत सभी गाँव और शहरों में घर तक पक्की गली एवं नालियों का निर्माण कराया जा रहा है। हर घर बिजली निश्चय के अन्तर्गत राज्य के सभी इच्छुक परिवारों को विद्युत का संबंध गत वर्ष ही उपलब्ध करा दिया गया है।

fcgkj iquxBu vf/kfu;e&2000 d iko/kkuk dk ykx fd;k tkuk& बिहार पुनर्गठन अधिनियम–2000 में यह प्रावधान है कि विभाजन के फलस्वरूप बिहार को होने वाली वित्तीय कठिनाईयों के संदर्भ में एक विशेष कोषांग उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सीधे नियंत्रण में गठित होगा और यह कोषांग बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुशंसायें करेगा। इस वैधिक प्रावधान के तहत राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ सहायता पूर्व के वर्षों में प्राप्त हुई है। पूर्व में योजना आयोग के द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत विशेष

अनुदान उपलब्ध कराया गया था और बाद में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) के अन्तर्गत भी बिहार को विशेष अनुदान उपलब्ध कराया गया था। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्यरत है। अतः अब नीति आयोग को ही इस वैधिक प्रावधान की मूल अवधारणा को अक्षरशः लागू करने की जिम्मेवारी निभानी चाहिए तथा बिहार को विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए।

f'k{kdk dk oru& वित्तीय वर्ष 2018–19 से सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को एकीकृत करते हुए समग्र शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के तहत शिक्षकों के वेतन मद में मिलने वाली राशि में भारी कटौती की गयी है। पहले प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रतिमाह 22500 रूपये प्रति शिक्षक की दर से राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती थी जिसे घटाकर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए 15000 तथा मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए 20000 रूपये निर्धारित किया गया है एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 25000 रू० प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त इन शिक्षकों का औसत मासिक वेतन 30000 रू० है। वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में भारत सरकार द्वारा क्रमशः 85000 एवं 89000 कार्यरत शिक्षकों का वेतन भी स्वीकृत नहीं किया गया है। इस कटौती के कारण 7000 करोड़ रूपये का वित्तीय बोझ राज्य सरकार पर पड़ रहा है। हाल के दिनों में शिक्षकों के वेतन में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके फलस्वरूप आने वाले वर्षों में यह राशि और बढ़ने की संभावना है।

इस संबंध में हमारी मांग है कि समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार से शिक्षकों के वेतन मद में पूर्व से मिल रही राशि में कोई कटौती नहीं की जाए बल्कि शिक्षकों के वेतन एवं भत्ते में हुई बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम शत–प्रतिशत लागू करने हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय मदद राज्य को मिलनी चाहिए।

i'ku ;kstuk& केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित आय वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न तरह की पेंशन योजनाएं यथा–इंदिरा गांधी नेशनल वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना संचालित है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा इन्दिरा गाँधी नेशनल वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 50 प्रतिशत का अंशदान दिया जाता है तथा अन्य पेंशन योजनाओं के लिए 75 प्रतिशत का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कुल पेंशनधारियों की संख्या लगभग 45 लाख है, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा मात्र 29.90 लाख पेंशनधारियों के लिए ही अंशदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है, शेष पेंशनधारियों के लिए समस्त राशि राज्य सरकार को अपने संसाधनों से वहन करना पड़ता है, जिसका प्रतिकूल असर राज्य की अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता है।

इस संबंध में केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आच्छादित सभी पेंशनधारियों के लिए राशि उपलब्ध करायी जाए।

Ckk<+ ,oa lw[kk dh fLFkfr– बिहार एक ऐसा राज्य है जो नियमित अंतराल पर किसी वर्ष बाढ़ से तो किसी वर्ष सूखे से उत्पन्न प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता है। नेपाल एवं अन्य राज्यों से उद्भूत होने वाली नदियों से प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना में हुए नुकसान की भरपाई हेतु बिहार को अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना

पड़ता है। इस तरह की बाढ़ आने के कारणों पर बिहार का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके फलस्वरूप राज्य को प्रत्येक वर्ष बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है और बाढ़–राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों पर काफी राशि व्यय होती है। गंगा बेसिन के उपरी राज्यों में निर्मित बांधों, बराजों एवं अन्य संरचनाओं के चलते नदी के प्रवाह में कमी आई है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्र में वनों के क्षरण एवं खनन गतिविधियों ने नदी के स्वाभाविक प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिसके कारण मैदानी क्षेत्रों में गाद अधिक मात्रा में पहुँच रही है। इससे बिहार में बाढ़ की तीव्रता एवं व्यापकता में वृद्धि हुई है। सोन नदी के मामले में भी पड़ोसी राज्यों– मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के द्वारा कभी भी जल बँटवारे से संबंधित बाणसागर समझौते (1973) का अनुपालन नहीं किया गया है। जब भी सोन नदी बेसिन में अधिक वर्षा होती है तो बाण सागर एवं रिहन्द बांध से अचानक अत्यधिक पानी छोड़ दिया जाता है जिसके फलस्वरूप बिहार में बाढ़ आती है और नुकसान होता है। अतः राज्यों की हिस्सेदारी से संबंधित मानदंडों के निर्धारण के दौरान इन बाह्य कारणों का समावेशन किया जाना चाहिए।

बिहार राज्य बाढ़ अथवा सुखाड़ की समस्या से कम या अधिक प्रायः प्रत्येक वर्ष प्रभावित होता है। अनुभव यह बताता है कि बिहार में पहले 1200–1500 मिमी वर्षा प्रति वर्ष हुआ करती थी। IMD बिहार शाखा के अनुसार राज्य में पिछले 30 वर्षो का औसत वर्षापात 1017 मिलीमीटर है। अगर हम पिछले 11 वर्षों का औसत वर्षापात देखें तो यह 884 मिलीमीटर ही है। पिछले वर्ष का औसत वर्षापात तो मात्र 771.3 मिलीमीटर रहा है। इसके साथ हीं विगत वर्षों में बिहार में मानसून के आगमन में भी विलम्ब देखा गया है।

अन्य आपदाओं की तुलना में सुखाड़ का कुप्रभाव काफी लम्बे समय तक रहता है। सुखाड़ के कारण कृषि उत्पादन, वन संपदा, पशु एवं मत्स्य संसाधन, भू–गर्भ जलस्तर एवं जल के अन्य सतही जलस्रोत जैसे–जलाशय, झील, नहर इत्यादि बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि 14वें वित्त आयोग के आकलन एवं अनुशंसा के आलोक में राज्य आपदा मोचन कोष (State Diaster Response fund) में बिहार का अंश मात्र 4.2 प्रतिशत निर्धारित है, जबकि महाराष्ट्र को 13.4, राजस्थान को 10 प्रतिशत, मध्य प्रदेश को 7.9 प्रतिशत, तामिलनाडु को 6.1 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश को 6.1 प्रतिशत तथा गुजरात को 6.4 प्रतिशत अंश दिया गया है। इन राज्यों की तुलना में बिहार में आपदाओं की अधिकता, तीव्रता एवं इससे होने वाली क्षति अधिक व्यापक हैं। वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार के द्वारा 1293 करोड़ रूपये आपदा प्रबंधन पर खर्च किया गया था, जबकि मात्र 469 करोड़ रूपये का प्रावधान राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत था। वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार के द्वारा 1392 करोड़ रूपये आपदा प्रबंधन पर खर्च किया गया, जबकि राज्य आपदा मोचन कोष में मात्र 492 करोड़ रूपये का प्रावधान राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत था। उसी प्रकार वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार के द्वारा 4382 करोड़ रूपये व्यय किया गया, जबकि इस कोष में मात्र 517 करोड़ रूपये का प्रावधान है। मेरा अनुरोध होगा कि राज्य आपदा मोचन कोष की राशि में राज्यों की आवश्यकता के अनुसार केन्द्र सरकार वृद्धि करे तथा इस कोष में बिहार के आपदा प्रवणता को ध्यान में रखते हुए इस राज्य की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाय।

वर्ष 2015 में अनुग्रह अनुदान (Gratuitous Relief-GR) की अधिसीमा राज्य आपदा मोचन कोष के आवंटन का 25 प्रतिशत निर्धारित कर दी गई। बिहार जैसे राज्य में बाढ़ एवं सुखाड़ जैसी आपदाओं से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। अनुग्रह अनुदान पर अधिसीमा लागू रहने के कारण आपदा पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के लिए राज्य को राज्य निधि से ही एक बड़ी राशि का व्यय करना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध होगा कि अनुग्रह

अनुदान उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा मोचन कोष के 25 प्रतिशत की अधिसीमा को शिथिल करते हुए वर्ष 2015 के पूर्व की भांति जरूरत के मुताबिक राज्य को राशि मिलनी चाहिए।
df"k ls lcf/kr cd _.k ,o chek&राज्य के कृषकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत बैंकों से खेती करने हेतु समय–समय पर कृषि ऋण लिए जाते हैं। बैंक इस तरह के ऋण के लिए अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री कृषि बीमा के तहत बीमा करते हैं एवं इसके लिए किसानों को अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता है। यहां उल्लेखनीय है कि इस राज्य में बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू की गयी है, जिसके तहत किसानों को उपज में ह्रास होने पर निःशुल्क वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार की अपेक्षा है कि किसानों को कृषि कार्य हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु बीमित होने की शर्त से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि राज्य के किसानों को अतिरिक्त प्रीमियम का वित्तीय भार नहीं उठाना पड़े एवं राज्य सरकार को कृषि बीमा योजना में प्रीमियम की राशि का अंशदान न देना पड़े। केन्द्र सरकार के स्तर पर इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

i/kkue=h fdlku lEeku fuf/k ;ktuk– यह बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार द्वारा कृषकों की आय को बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत वैसे किसानों को ही आर्थिक मदद मिल पाती है, जो भू–स्वामी हैं। बिहार में यह देखा गया है कि बहुत सारे भू–स्वामी स्वयं खेती नहीं करते हैं बल्कि अपने जमीन को पट्टे पर अथवा बटाईदारी के तहत दूसरे किसानों को दे देते हैं। बिहार सरकार कृषि से संबंधित सभी योजनाओं विशेष रूप से डीजल अनुदान, कृषि इनपुट, बिहार राज्य फसल सहायता योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में रैयत एवं गैर रैयत किसानों को समान रूप से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारा सुझाव है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत गैर रैयत (बटाईदार एवं जोतेदारों) किसानों को भी शामिल किया जाए, ताकि वास्तविक रूप से खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।

ekun; dk iujh{k.k ,o foÿkh; Hkkj dk ogu& केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार अनेक कर्मियों को संविदा पर बहाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समेकित बाल विकास कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका, मध्याह्न भोजन के तहत रसोईया आदि। समय–समय पर इन कर्मियों द्वारा अपने मानदेय को बढ़ाने की माँग की जाती है। बड़े हर्ष की बात है कि भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत सेविका एवं सहायिका के मानदेय में वृद्धि की गयी है। लेकिन मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोईया के मानदेय में वृद्धि नहीं की गयी है, जिसके फलस्वरूप उनमें काफी असंतोष है और वे बराबर अपने मानदेय बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। इसका कुप्रभाव मध्याह्न भोजन योजना पर भी पड़ता है। मेरा अनुरोध होगा कि आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका की भांति रसोईया के मानदेय में वृद्धि की जाए एवं इसका पूर्ण वित्तीय भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाए।

jkT; vrxr jk"Vh; mPp iFkk dk j[k&j[kko& राज्य से गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथों की स्थिति बेहद खराब होने के कारण वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक की अवधि में राज्य सरकार की निधि से 997.12 करोड़ रूपये की राशि का व्यय पथों के जीर्णोद्धार हेतु किया गया

है। इस राशि की प्रतिपूर्ति हेतु कई बार भारत सरकार के पथ परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। पुनः अनुरोध है कि इस राशि की प्रतिपूर्ति करा दी जाय।

Li'ky Iyku ¼**BRGF**½& 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के तहत स्पेशल प्लान अंतर्गत ₹12000.00 करोड़ स्वीकृत किया गया, जिसके तहत योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 तक ₹11088.18 करोड़ रू0 राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जा चुका है। मेरा अनुरोध होगा कि शेष राशि ₹911.82 करोड़ रू0 भी इस राज्य को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए।

df"k mRiknu cktkj lfefr vf/kfu;e **(Agriculture Produce Market Committee (APMC) Act)** dk fujlu& राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 में बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम लागू किया गया। इसके साथ ही राज्य के अधीन सभी बाजार समितियों एवं बाजार पर्षद को विघटित कर दिया गया। बाजार समितियों को सरकारी बाजार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। राज्य में कृषि उपज की खरीद बिक्री के लिए न तो किसी प्रकार की लाईसेन्स की जरूरत है न ही किसी प्रकार का शुल्क आरोपित किया जाता है। इससे एक स्वतंत्र कृषि बाजार विकसित हो रहा है। राज्य सरकार फिर से कृषि बाजार को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रही है। सरकारी कृषि बाजारों के विकास के लिए राज्य सरकार अपने संसाधन का उपयोग कर रही है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा तैयार किये गए मॉड्ल। PMC Act की एक प्रमुख अवधारणा कृषि बाजार को नियंत्रित करने की है। बिहार पुराने बाजार नियामक व्यवस्था को वापस लाये बिना, बिहार राज्य में आधुनिक कृषि विपणन प्रणाली विकसित करना चाहता है। कृषि बाजार को नियंत्रित किए बिना, भारत सरकार की मॉड्ल। PMC Act द्वारा बिहार में कैसे आधुनिक कृषि विपणन प्रणाली स्थापित की जा सकती है, के संबंध में केन्द्र सरकार को अपनी रणनीति से अवगत कराना चाहिए।

हम आशा करते हैं कि विकास की रणनीति बनाते समय उपर्युक्त वर्णित सभी मुद्दों एवं सुझावों पर सम्यक विचार किया जायेगा।

5th Meeting of the Governing Council of the NITI Aayog
Speech of Shri Nitish Kumar, Chief Minister of Bihar

Respected Prime Minister, Hon'ble Chief Ministers of States, Hon'ble Vice-Chairman of NITI Aayog, Hon'ble Union Ministers, Hon'ble Members of the Governing Council, Officials of the Union and the State Governments.

At the outset, I would like to thank the Respected Prime Minister for inviting us to the 5th meeting of the Governing Council of the NITI Aayog and for providing an opportunity to express our views. NITI Aayog can play leading role in creating an enabling environment for better co-ordination and initiative among the states for resolving issues and implementing policies in public interest in the Indian federal structure. In changed socio-economic perspective, it is essential to have an inclusive thought process and vision for the development of the country. Today's meeting provides us an opportunity to discuss and find solutions to our problems on a common platform, which will pave the way for partnership between the centre and the states and for inclusive/sustainable development.

NITI Aayog has included some topics in the agenda for this Governing Council meeting. I hope that positive discussions shall take place on priorities, policies and regional strategies for national development along with current issues raised by the States and a general consensus shall be reached among the Union and the States on important issues.

In the light of the agenda circulated for this meeting of the Governing Council, the agenda-wise detailed report has been submitted separately. I would like to place some of the most important issues concerning Bihar for your consideration.

Centrally Sponsored Schemes- At present, many important schemes are being implemented under centrally sponsored schemes with the contributions of the Central Government and the State Government. The tax transfer to the states having increased from 32% to 42% on the basis of the recommendations of the 14th Finance Commission has been taken as justification for a massive reduction of allocation of funds to the states from the union budget.This has adversely affected the state of Bihar. The contribution of central government ranged from 75% to 90% under the centrally sponsored schemes related to national development agenda and the rest amount was contributed by the state government, but the central government has changed the financial pattern for all 21 schemes of national development agendaresulting which the proportion of contribution is 60:40 (Central: State). In some of the centrally sponsored schemes, the contribution of the Central Government has been reduced to 50 percent. Due to this change in the financial pattern, the State Government has to spend Rs 4500 crore in the financial year 2015-16,Rs. 4900 crore in the financial year 2016-17, Rs. 15335 crore in the financial year 2017-18 and Rs 21396 crore in the financial year 2018-19 from its own resources in centrally sponsored schemes. Obviously, the State has to commit substantialresources as state share to the Centrally Sponsored Schemes, thereby providing less funds for the schemes of state's own priority. As a result, the State is not in a position to meet its priorities of entitlement basedpublic amenities and other requirements. At the same time, it is very difficult to make financial provision, to maintain accounts and to monitor schemes of centrally sponsored schemes due to contribution of the Central Government and the State Government.Not only that, the State Government is bound to participate in the Centrally Sponsored Schemes even if such schemes arenot priority for the State. In this regard, we would like to suggest that the Government of India should discontinue the Centrally Sponsored Schemes and make a provision for implementation of the schemes of their priority under the Central Sector Schemes. The State Government should implement the schemes of the state priority from its own resources under the state scheme.

Demand for Special Category Status – The state Government has been able to achieve economic growth of more than 10% over the last several years, which is higher than the national growth rate. In

spite of that, the per capita income of the state is much lower in comparison to the per capita income of other developed states and the national average. The State Government has been consistently placing its demand to the Central Government for granting special status to Bihar so that it can achieve the average per capita income of other developed states of the country as well as national average. In this regard, I would like to draw your attention to the recommendations of the Raghuram Rajan Committee constituted by the Union Government, which has presented the overall growth index for the states, according to which the 10 most backward states of the country including Bihar were identified. It was also mentioned in the report that the Central Government may provide central assistance in other form to increase the pace of development in the most backward states.

Analysis of data on inter-regional and interstate variations on levels of development makes it clear that some states are far below from the national average on multiple parameters of development like per capita income, education, health, electricity, institutional finance and other indices of Human Development. For example, the per capita income of Bihar wasRs. 28,485 in the year 2017-18, which was only 32.86 percent of India's average per capita income of Rs. 86,668. The per capita electricity consumption was only 76 units during the year 2005 which increased to 280 units during the year 2017-18, whereas the national average was 1149 units.

Similarly, if we look at the human development indices it is found that despite fast growth, we still have to cover a long distance. The maternal mortality ratio (per lakh population) was 312 in 2005 which reduced to 165 in 2016, whereas the national average is 130. The child mortality rate was 61 (per thousand population) which has come down to 38 in the year 2016 but still we are behind the national average, which is 34. In addition to this, the population density of the State is 1106 per square km, whereas the national average is 382. The Stunting Rate among children below 5 years of age is 48.3 percent in the state of Bihar, whereas the national average is 38.4 percent. It is quite clear from these data that although Bihar has developed in most of the areas but it is far behind the national average in various indicators of development.

Any rational economic strategy should foster both investment and devolution patterns which would enable these States to reach the national average within a stipulated time frame. Our demand for Special Category Status for Bihar emanates from this very premise. We have repeatedly raised the demand to the Central Government to accord Special Category status to Bihar. Grant of special status to Bihar will enhance the central share of the centrally sponsored schemes on one hand, which will provide an opportunity to the States to utilize their resources in other development and welfare schemes and on the other hand it will alsoensure reimbursement of GST at par with the states having special category status which will encourage private investment, setting up of industries, creating new employment opportunities and improving the quality of life of the people.

Programs of 7 Resolves (Nishchay) and Good Governance-Following the principle of "Development with Justice", various development schemes, covering all sectors, are being implemented by the State Government. Some important pillars of our development strategy are: Infrastructure Development, Agriculture Road Map, Skill Development Mission, Industrial Development, Welfare of Weaker Sections, Bihar Vikas Mission and SaatNischay. Under the SaatNischay for developed Bihar, the priority of the State Government is not only to provide the basic facilities like drinking water, toilet and electricity to all the citizens, but also to ensure expansion of infrastructure, such as roads, by-lanes, drains, bridges etc. We have also resolved to make youth and women self-reliant, capable and to provide them an opportunity of higher, vocational and technical education and skill development. These schemes are universal in nature so that benefits are available to all sections and in all areas without any discrimination. Campaigns for social reforms are also being carried out along with development programmes. Mass campaign for prohibition and against child marriage as well as dowry is being incessantly carried out.

The State Government is providingtap drinking water to every household under its 7 Nischay (7 Resolves) program. The main purpose of this scheme is to provide pure and safe drinking water to all citizens of the state. Under this program, schemes for water supply are being implemented in the quality affected areas by the Department of Public Health Engineering and in other rural areas, this scheme is being implemented successfully through the ward committee of Gram Panchayat. The scheme is also being implemented in urban areas through urban local bodies. The target is to provide tap water to all the households by April 2020. Under the 7 Nischay programme, paved lanes and drains are being constructed up to the households in all the villages and towns. Every interested family in the State has been provided with electricity last year under the Har Ghar Bijli Nischay.

Bihar Reorganisation Act-2000- Bihar Reorganisation Act-2000 provides that in the context of financial constraints to Bihar as a result of bifurcation, a special cell under the Deputy Chairman Planning Commission to look into the special financial needs of Bihar arising out of the reorganization of the State. Under this statutory provision, some assistance has been received in the previous years for meeting the specific requirements of the state.Earlier, the special grant was provided under the Rashtriya Sam Vikas Yojana and subsequently special grant was also provided to Bihar under the Backward Regions Grant Fund (BRGF) by the Planning Commission. Now, NITI Aayog is operational in place of the Planning Commission. So, now, the NITI Aayog should take the responsibility of implementing the basic concept of this statutory provision in letter and spirit and should provide special grant to Bihar.

Salary of Teachers- From the financial year 2018-19 the SamagraSiksha Program has been implemented by integrating the SSA, the National Secondary Education Campaign and the Teacher Education Programme. At present, the rate of payment of salaries of teachers under the Sarva Shiksha Abhiyan has been significantly reduced by the Central Government. Earlier the amount was made available at the rate of Rs 22500 per month per teacher of primary and middle schools, which has been reduced to Rs. 15000 for primary school teachers and Rs. 20000 for middle school teachersand Rs. 25000 per month for secondary school teachers whereas the average monthly salary of these teachers is Rs. 30000.For the year 2018-19 and 2019-20 the salary of 85000 and 89000 working teachers respectively has also not been approved by the Government of India. Due to this reduction the financial burden of Rs.7000 crore is being borne by the State Government. In the recent past, teachers' salaries have also been increased, as a result the financial burden on the state is going to increase further in coming years.

In this regard, we demand that no deduction should be made in the salary head of teachers provided earlier by the Central Government under the Sarva Shiksha Abhiyan rather more fund should be given to State in view of the increase in salary and allowances of the teachers and to implement the Right to Education Act in the state.

Pension Scheme- Various types of pension schemes, viz, Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, Indira Gandhi Widow Pension Scheme, Indira Gandhi National Disability Pension Scheme are implemented by Central and State Governments in which 50 per cent is contributed by the Central Government in case of Indira Gandhi National Old Age pension scheme and 75 per cent for the other pension schemes.Here I would like to point out that the number of total pensioners under the Indira Gandhi National Pension Scheme is about 45 lakhs, whereas the Central Government provides the contribution amount for only 29.90 lakh pensioners. The entire amount for the remaining pensioners is borne by State Government.

In this regard it is our demand from the Central Government that the funds should be made available to all the pensioners covered under the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme.

Flood and Drought Situation - Bihar is one of the states that is affected by natural calamity in the form of flood and drought on regular interval. Bihar has to incur additional financial burden to compensate the loss in physical and social infrastructure due to floods every year from the rivers originating from Nepal and other states. Bihar suffers from floods every year due to the reasons which are not under the control of the State and lot of money is spent on flood relief, rehabilitation and reconstruction works. The flow of river water has decreased due to the construction of dams, barrages and other structures built in the upper states of the Ganga basin. Further, the erosion and mining activities of forests in the hilly area have adversely affected the natural flow of the rivers, leading to higher silt accumulation in the plains. This has increased the intensity and magnitude of floods in Bihar. Even in the case of Sone River, the BansagarAgreement (1973) on water distribution has never been complied by the neighbouring states of Madhya Pradesh and U. P. Whenever there is excess rainfall in the Sone River basin, the Bansagar and Rihand dams suddenly release excessive water, which results in floods and damage in Bihar. Therefore, these extraneous reasons should be included while determining the criteria relating to sharing of funds for the States.

The state of Bihar is affected by flood or drought more or less every year. Experience indicates that earlier 1200-1500 mm of rain was observed in Bihar every year. According to IMD Bihar branch, the average rainfall for the last 30 years in the state is 1017 millimeters. If we look at the average rainfall for the last 11 years, it is 884millimeters. The average rainfall of last year is only 771.3 millimetres. With this, delay in arrival of monsoon in Bihar has also become a regular phenomenon for past few years.

Compared with other calamities, the ill effect of drought continues for long periods. Due to drought, agricultural production, forest resources, animal and fishery resources, ground water level and other surface water sources such as reservoirs, lake, canal etc. are badly affected.

I also want to point out that in the light of the assessment and recommendation of the 14th Finance Commission, Bihar's share in State Disaster Response Fund is only 4.2%, while of Maharashtra it is 13.4%, of Rajasthan it is 10%, of Madhya Pradesh it is 7.9 %, of Tamil Nadu, it is 6.1%, of Uttar Pradesh it is 6.1% and of Gujarat it is 6.4%. Compared to these states, the excesses, intensity and the consequences of natural disasters in Bihar are more widespread. In the year 2015-16, the state government had to spend Rs. 1293 crore on disaster management, whereas only Rs. 469 crore was provided for, under the state disaster response fund. In the year 2016-17, the State Government spent 1392 crore on disaster management, whereas provision of only 492 crore was available under the State Disaster Response Fund. Similarly, in the year 2017-18, 4382 crores wasspent by the State Government, whereas in this fund there was provision of only Rs. 517 crores. I would request that the Central Government should increase the amount of state disaster response fund according to the requirement of states and theshare of the state of Bihar should be increased in this fund keeping in view the frequencies of calamitiesin Bihar.

In the year 2015, the ceiling of gratuitous relief grant was fixed at 25% of the allocation of State Disaster response Fund. In a state like Bihar, a large number of people are affected by calamities like floods and droughts. The state is incurring a huge expenditure from the state fund for providing gratuitous relief grant to the disaster victims due to the imposition of ceiling on gratuitous relief grant. I would request that the ceiling of 25 per cent of the state Disaster Response Fund should be relaxed and state should be given the funds meant for gratuitous relief grant as per the need of the state as it was available prior to 2015.

Agriculture Related Bank Credit and Insurance - Farmers are availing credit for farming purposes from the banks under Kisan Credit card scheme and other such schemes. Such loans are compulsorily insured by banks and for this, farmers have to pay additional premium. It is worthwhile to mention here that the Bihar Rajya FasalSahayataYojna is being implemented in the State under which free financial assistance is provided to the farmers in case their crop suffers the loss of yield. In this regard, I would suggest that such insurance should be de-linked from agriculture loans, so that the farmers of the State do not have to bear the financial burden of additional premium and the state government does not have to pay the contribution of the premium of agricultural insurance schemes.

Pradhan Mantri KisanSamman Nidhi Yojana-It is a matter of great pleasure that the Government of India has implemented the Pradhan Mantri KisanSamman Nidhi Yojana to increase the income of farmers from the financial year 2018-19. Under this scheme, financial assistance is given to only those farmers who are land owners. It has been observed in Bihar that many landowners do not cultivate themselves instead give their land to other farmers under lease or sharecropping. The Bihar Government is providing financial assistance to the raiyat and non-raiyat farmers equally in all the important schemes related to agriculture, especially diesel subsidy, agricultural input and Bihar Rajya FasalSahayataYojna. In this perspective, we suggest that non-raiyat (Bataidar&Jotedar) farmers should also be included under the Prime Minister KisanSamman Nidhi Yojana so that the farmers who actually cultivate the land get the benefit of this scheme.

Revision of Honorarium and Carrying of Financial Burden- A number of personnel are appointed on contract as per the scheme's guidelines for implementation of centrally sponsored schemes. For exampleAnganwadi Sevika/ Sahayikas are engaged under Integrated Child Development Programme and Cooks are engaged under mid-day meal schemes. These personnel put forward the demand to increase their honorarium from time to time. It is heartening that the honorarium of Sevika and Sahayika working in Anganwadi Centres has been increased by the Government of India. But the honorarium of the cooks working under the Mid-Day Meal Scheme has not been increased, which has resulted in dissatisfaction among them, as they have been regularly demanding for increase in their honorarium. It also adversely affects the Mid-Day Meal Scheme. I would request that the honorarium of the cooks should also be increased in tune with the Anganwadi Sevika/Sahayika and the Central Government should bear the full financial burden.

Maintenance of National Highways under the State - In view of poor condition of national highways in the state,Rs. 997.12 crore had been incurred from the State Government funds during the period from 2006-07 to 2010-11 for their restoration. Regular request has been made to the Ministry of Road and Surface Transport, Government of India for reimbursement of the expenditure incurred by the state on this item. It is again requested to reimburse this amount.

Special Plan (BRGF) –Under the twelfth five Year plan, Rs. 12000.00 crore was sanctioned by the Government of India under the special plan of Backward Regions Grant Fund (BRGF) for the state, out of which the Planning Commission, presently NITI Aayog, has made available Rs. 11088.18 crore to the State Government. I would request that the remaining amount of Rs.911.82 crore should also be made available to the State at the earliest.

Bihar Agriculture Produce Market Act- The Bihar Agriculture Produce Market(Repeal) Act, was enacted by the State Government in the year 2006. All marketing committees and marketing boards in the state were dissolved. Marketing committees were converted into a free public markets. No license was required nor could any fee be charged for marketing of agricultural produce in the state. This enabled development of an independent and free agricultural market. The State Government

feels that there is no need to regulate the agricultural market. Infact the State Government is using its own resources for the development of modern agricultural markets.

Presently, the main premise of Model APMC Act being implemented by the Government of India is based on regulating the agricultural market. Bihar wants to develop a modern agricultural marketing system in the state without reviving the old regulatory marketing framework. The Central Government should outline its strategy as to how a modern Agricultural marketing system can be established under Model APMC Actin Bihar without imposing regulatory provisions on agricultural market.

We hope that all the issues and suggestions mentioned above will be considered in due course while formulating the development strategy for the states.